

पंचायत जन सुनवाई के बाद जिला श्रोत व्यक्ति द्वारा समेकित प्रतिवेदन  
पंचायत का नाम- जय हिन्द तेब्बुआ प्रखण्ड- नवीनगर, जिला-औरंगाबाद

पंचायत जन सुनवाई की तारिख-19.02.2015- 11 ए0एम0

जिला द्वारा नामित कोई भी पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी नहीं पहुँचे।

क्र० सं०	प्राप्तकर्ता	साक्ष्य	ग्राम सभा का अनुमोदन	संबंधित गयी कार्रवाई	द्वारा सुधारात्मक	पैल का निर्माण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	
1	श्री कन्हवाई सिंह के द्वारा पुछा गया कि पैसा बकाया है तो काम क्यों नहीं दिया जा रहा है।	मस्टर रौल और काम की मांग पंजी	हाँ	पी0आर0एस0 ने बतलाया की पैसा उपलब्ध होने पर देगे भुगतान कर काम आगे भी मिलेगा।	ने पैसा पर देगे भी	कार्यक्रम पदाधिकारी नवीनगर को जाँच करने की अनुसंशा	
2	श्री धारु साव ने कहा कि नरेन्द्र सिंह के खेत में वृक्षारोपण नहीं किया गया है।	भी0आर0पी के द्वारा सत्यापन मात्र दस पेड़ जीवित हैं।	हाँ	पी0आर0एस0 का कहना है कि 200 सौ पेड़ लगाया गया है।	का 200 गया	कार्यक्रम पदाधिकारी नवीनगर को जाँच करने की अनुसंशा	
3	भी0 आर0पी0 ने प्रस्तुति में बताया कि योजना संख्या 6 वर्ष 2013-14 में सरया कब्रिस्तान में 600 पेड़ लगाया गया है।	भी0आर0पी के द्वारा सत्यापन मात्र 150 पेड़ जीवित हैं।	हाँ	पी0डी0ए0 ने बतलाया की इस योजना को डी0एम0 के आदेश पर बंद कर दिया गया है।	ने इस डी0एम0 पर बंद	कार्यक्रम पदाधिकारी नवीनगर को जाँच करने की अनुसंशा	

4	कौशिल्या देवी फुलवा अहरा में कार्य की थी मजदूरी का भुगतान 150 रु० के प्रति दिन के हिसाब से किया गया है।	मस्टर रौल	हाँ	पी०आर० एस० के द्वारा बतलाया गया कि उस समय पूर्व पी०आर०एस० कार्य कर रहे थे।	कार्यक्रम पदाधिकारी नवीगनगर को जाँच करने की अनुसंशा
5	विलेश राम द्वारा कार्यस्थल पर सुविधा नहीं मिलने की बात कही गयी।	प्राक्कलन चेक किया/देखा।	हाँ	पी०टी०ए० द्वारा बतलाया गया कि कंटीजेन्सी था अब नहीं मिल रहा है। जे०ई० द्वारा बतलाया गया कि मनरेगा में छोटा काम होता है एवं सुविधा देना मेट का काम है।	कार्यक्रम पदाधिकारी नवीगनगर को जाँच करने की अनुसंशा
6	सीताराम पासवान ने कहा कि काम मोंगने पर काम नहीं मिलता है।	काम की मोंग पंजी	हाँ	पी०आर०एस० ने बताया कि डी०आर०डी०ए० औरंगाबाद का आदेश है कि पंचायत में राशि उपलब्ध होने पर ही काम दिया जायेगा।	कार्यक्रम पदाधिकारी नवीगनगर को जाँच करने की अनुसंशा

  
 सत्येंद्र कुमार  
 डी०आर०एस०

डी०आर०पी०, औरंगाबाद

पंचायत जन सुनवाई के बाद जिला श्रोत व्यक्ति द्वारा समेकित प्रतिवेदन

पंचायत का नाम- जम्हौर, प्रखण्ड-औरंगाबाद, जिला-औरंगाबाद

पंचायत जन सुनवाई की तारिख-20.02.2015- 02.00.पी0एम0

जिला द्वारा नामित कोई भी पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी नहीं पहुँचे।

क्र० सं०	प्राप्तकर्ता	साक्ष्य	ग्राम सभा का अनुमोदन	संबंधित गयी कार्रवाई	द्वारा सुधारात्मक	पैनल का निर्माण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	
1	विजय कुमार ने बतलाया कि यहाँ मनरेगा शुरु होना चाहिए।	उपस्थित जनता	हाँ	पी0आर0एस0 पी0टी0ए0 जे0ई0 बतलाया गया पंचायत नहीं होने के कारण कार्य नहीं कराया जा रहा है एवं राशि भी नहीं मिल रहा है।	सरकार को सूचित करते तत्काल कोड हेतु डी0एम0 औरंगाबाद अनुशंशा		

सत्येन्द्र कुमार साहिल्य

डी0आर0पी0 औरंगाबाद 27/2/15

पंचायत जन सुनवाई के बाद जिला श्रोत व्यक्ति द्वारा समेकित प्रतिवेदन  
पंचायत का नाम- बलार, प्रखण्ड-रफिगंज, जिला-औरंगाबाद

पंचायत जन सुनवाई की तारीख-21.02.2015- 10.30 ए0एम0

जिला द्वारा नामित कोई भी पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी नहीं पहुँचे।

क्र० सं०	प्राप्तकर्ता	साक्ष्य	ग्राम सभा का अनुमोदन	संबंधित गयी कार्रवाई	द्वारा सुधारात्मक	पैनल का निर्माण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	
1	रामस्वरूप भुईया ने कार्य की माँग की	मजदुरो के साक्षात्कार	हौं	पी0आर0एस0 के द्वारा काम देने का आश्वासन दिया गया।	कार्यक्रम पदाधिकारी रफीगंग को जाँच करने की अनुसंशा		
2	मजदुरो ने बकाए मजदुरी भुगतान की माँग की	मस्टर रौल	हौं	पी0आर0एस0 के द्वारा बतलाया गया कि रशि उपलब्ध होने पर भुगतान किया जायेगा।	कार्यक्रम पदाधिकारी रफीगंग को जाँच करने की अनुसंशा		
3	योजना संख्या 18 वर्ष 2013-14 में वृक्षा रोपण के लिए गढ़वा खोदने का समर्थन किया।	मस्टर रौल	हौं	पी0आर0एस0 बलार के द्वारा बतलाया गया कि गढ़वा खोदा गया था लेकिन वृक्ष नहीं लगाया गया था।	कार्यक्रम पदाधिकारी रफीगंग को जाँच करने की अनुसंशा		

4	भी0आर0पी0 द्वारा पंचायत की सभी योजनाओं की प्रस्तुती की गई।	जनसमर्थन से ताली बजाकर सभी योजनाओं का समर्थन किया गया।	हौ	मजदूर एवं आम जनता के समर्थन कि गई।	कार्यक्रम पदाधिकारी रफीगंग को जौच करने की अनुसंशा
5	जयसुन दास के द्वारा मजदूरी भुगतान देर होने की बात कही गई।	मस्टर रौल	हौ	पी0आर0एस0 के द्वारा बतलाया गया कि 15 दिन या 30 दिन मे रशि उपलब्ध होने पर भुगतान किया जाता है।	कार्यक्रम पदाधिकारी रफीगंग को जौच करने की अनुसंशा
6	रुकमणी देवी ने कहा कि कभी भी सभा में आने के लिए मजदूरी मिलने की माँग की गई।	जन समुदाय के द्वारा प्रस्ताव का समर्थन		कार्यक्रम पदाधिकारी ने बतलाया कि इस तरह का प्रावधान नहीं है।	सरकार को अनुसंशा भेजा जाए।

सत्येन्द्र कुमार सांडिल्य  
 डी0आर0पी0, आर0आर0  
 20/11/2015

पंचायत जन सुनवाई के बाद जिला श्रोत व्यक्ति द्वारा समेकित प्रतिवेदन  
पंचायत का नाम- कोतवारा, प्रखण्ड-रफिंगंज, जिला-औरंगाबाद

पंचायत जन सुनवाई की तारीख-21.02.2015- 02.00 ए0एम0


जिला द्वारा नामित कोई भी पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी नहीं पढ़ें।

क्र० सं०	प्राप्तकर्ता	साक्ष्य	ग्राम सभा का अनुमोदन	संबंधित गयी कार्रवाई	द्वारा सुधारात्मक	पैनल का निर्माण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	

जनता के नहीं आने के कारण पंचायत जन सुनवाई नहीं की जा सकी क्योंकि पंचायत रोजगार सेवक एवं मनरेगा का कोई भी कर्मी के द्वारा जनता को सुचित नहीं किया गया एवं कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया जिसके कारण जन भागीदारी नहीं रहने के कारण पंचायत जनसुनवाई नहीं कि जा सकी।

सत्येन्द्र कुमार सांडिल्य

डी०आर०पी० औरंगाबाद

  
2015

पंचायत जन सुनवाई के बाद जिला श्रोत व्यक्ति द्वारा समेकित प्रतिवेदन

पंचायत का नाम- कंचनपुर, प्रखण्ड-बारुण, जिला-औरंगाबाद

पंचायत जन सुनवाई की तारीख-20.02.2015- 10.30 ए0एम0

जिला द्वारा नामित कोई भी पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी नहीं पहुँचे।

क्र० सं०	प्राप्तकर्ता	साक्ष्य	ग्राम सभा का अनुमोदन	संबंधित गयी कार्रवाई	द्वारा सुधारात्मक	पैनल का निर्माण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	

जनता के नहीं आने के कारण पंचायत जन सुनवाई नहीं की जा सकी क्योंकि पंचायत रोजगार सेवक एवं मनरेगा का कोई भी कर्मी के द्वारा जनता को सुचित नहीं किया गया एवं कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया जिसके कारण जन भागीदारी नहीं रहने के कारण पंचायत जनसुनवाई नहीं कि जा सकी।

सत्येन्द्र कुमार सांडिव्य

डी०आर०पी०, औरंगाबाद 02/02/15